30/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा संख्या / वर्ष		आज्ञा विस्तृत रूप से
क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	30/5/24	से एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई ... उप०। प्रार्थी ने दावा बाबत घोषणा व अधिकार अन्तर्गत धारा 88 स्थाई आस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया है। पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी द्वारा वाद के चरण संख्या 02 में उल्लेखित विवादग्रस्त आराजी ख०न० 409 रकबा 0.04 बिस्वा, ख० न० 412 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, ख० नं० 413 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा ख० न० 414 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा ख० न० 403 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा संयुक्त खाते की आराजी है जिसमे संयुक्त खाते की पैतृक आराजी होने के कारण वादी/प्रार्थी का हित व अधिकार जन्म से ही समाहित है वादी/प्रार्थी ... यह वाद संयुक्त खातेदारी ... में से अपने पिता/प्रतिवादी संख्या 01 से विरासत के आधार पर अर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:37:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
... प्रथम

फर्द अहकाम

Acm Jaipur Ist

F.I 79/2022 बनाम

जुगल किशोर बनाम भंवर लाल /20

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24	न विद्यमान अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया है। पत्रावली मे संलग्न रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 01 की मृत्यु होने के उपरान्त पैतृक सम्पत्ति के अन्तरण के आधार पर विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसों के नाम खोला जा चुका है जिसका इन्द्राज जमाबंदी मे हो गया है। अतः वादी द्वारा जो घोषणा का अनुतोष अपने पिता/प्रतिवादी संख्या 01 से चाहा गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी, पैतृक सम्पत्ति मे से अपने हिस्से का खातेदार घोषित हो चुका है। वर्तमान मे उक्त वाद को चलाए रखने का वाद कारण भी शेष नहीं है। ऐसी स्थिति मे वादी [illegible] अर्थहीन हो गया है। [illegible] [Infructuous] होने के कारण पोषणीय नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30-5/24	निर्णय आज दिनांक 30/5/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested